भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 2858

जिसका उत्तर 05 अगस्त, 2026 को दिया जाना है

कोयला क्षेत्र में सुधार

2858. श्री दुष्यंत सिंह:

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले पांच वर्षों में कोयला क्षेत्र में पारदर्शिता, कार्यक्षमता और वैज्ञानिक खनन को बेहतर बनाने के लिए किए गए मुख्य सुधार क्या हैं, और नीलामी-आधारित आवंटन और वाणिज्यिक कोयला खनन की ओर परिवर्तन का ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा कोयला धुलाई, डिजिटल रूप से खान की निगरानी, कोयला गैसीकरण, भूमिगत कोयला गैसीकरण और नवीकरणीय ऊर्जा व कार्बन कैप्चर परियोजनाओं के एकीकरण जैसी पहलों के माध्यम से कोयला पारितंत्र को आधुनिक बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) जलवायु और स्थिरता से जुड़ी प्रतिबद्धताओं को पूरा करते हुए भारत की ऊर्जा सुरक्षा और औद्योगिक विकास, विशेषकर विद्युत, इस्पात, सीमेंट और अवसंरचना क्षेत्र में कोयले का क्या योगदान है; और

(घ) घरेलू कोयला उत्पादन बढ़ाने, प्रधानमंत्री-गति शक्ति योजना के अंतर्गत संभारतंत्र में सुधार करने, आयात पर निर्भरता कम करने और आपूर्ति शृंखला की कार्यक्षमता व मूल्य निर्धारण प्रक्रिया को सुदृढ़ करने में कोयला क्षेत्र में बदलाव जैसे तंत्र की प्रस्तावित भूमिका में हुई प्रगति क्या है?

उत्तर

कोयला एवं खान राज्य मंत्री

(श्री सतीश चन्द्र दुबे)

(क) : पिछले पांच वर्षों में, सरकार ने कोयला आवंटन और खनन को और अधिक पारदर्शी, दक्ष और वैज्ञानिक बनाने के लिए संरचनात्मक और प्रक्रियात्मक सुधारों की एक श्रृंखला पूर्ण की है। मुख्य परिवर्तन यह रहा है कि अब एक आवंटन से दूसरे आवंटन के बीच अंतरण खुली प्रतिस्पर्धी नीलामी के माध्यम से किया जाता है जिसके साथ-साथ वर्ष 2020 में वाणिज्यिक

कोयला खनन की शुरूआत की गई, जिसमें कोयले की बिक्री या अंत्य-उपयोग पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

1. पारदर्शिता और बाजार-आधारित आवंटन के लिए प्रमुख सुधार:

i. **वाणिज्यिक कोयला खनन:** बिना किसी तकनीकी या वित्तीय पात्रता शर्तों के खोला गया है, और स्वचालित मार्ग के तहत 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति दी गई है।

ii. **राजस्व-शेयर मॉडल:** पारदर्शी, बाजार से जुड़े मूल्य निर्धारण के लिए राष्ट्रीय कोयला सूचकांक शुरू किए जाने के बाद समर्थित नीलामी की प्रक्रिया अब एक प्रतिशत राजस्व-शेयर मॉडल में अंतरित हो गई है।

iii. **सिंगल विंडो मोड एग्नोस्टिक (एसडब्ल्यूएमए) नीलामी:** कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) के सभी गैर-लिंकेज कोयले को सिंगल विंडो के माध्यम से बेचने के लिए शुरू किया गया, जिससे बाजार की गड़बड़ियों को दूर किया जा सके और खरीदारों के बीच निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को बढ़ाया जा सके।

iv. **शक्ति नीति का सरलीकरण:** कोयला लिंकेज आवंटन को दो विंडो में सरल बनाया गया है- अधिसूचित मूल्य पर विंडो I और अधिसूचित मूल्य से अधिक प्रीमियम पर विंडो II, जिससे मौजूदा लिंकेज उपभोक्ता 100 प्रतिशत पीएलएफ आवश्यकता तक की खरीद करने में सक्षम हो सकें।

v. **कोलसेतु विंडो:** इसे गैर-विनियमित क्षेत्र (एनआरएस) लिंकेज नीलामी नीति के तहत अंत्य-उपयोग प्रतिबंधों के बिना नीलामी-आधारित लिंकेज प्रदान करने के लिए शुरू किया गया, जिससे स्व-खपत, कोयला धोने या निर्यात के लिए पूर्ण लचीलापन मिलता है।

2. दक्षता और कारोबार में सुगमता लाने के लिए सुधार:

i. **सिंगल विंडो क्लीयरेंस सिस्टम:** तीव्र खान प्रचालन के लिए परिवेश 2.0 पोर्टल के माध्यम से शुरू किया गया।

ii. **अन्वेषण:** 44 निजी संस्थाओं को प्रत्यायित पूर्वेक्षण एजेंसियों (एपीए) के रूप में अधिसूचित किया गया है, जिससे पूर्वेक्षण लाइसेंस की आवश्यकता समाप्त हो गई है। भूवैज्ञानिक रिपोर्ट अनुमोदन कार्यतंत्र को भी सरल बनाया गया है।

iii. **सांविधिक संशोधन:** कोयला कंपनी बोर्डों को खान खोलने की अनुमति देने के लिए सशक्त बनाने हेतु कोलियरी नियंत्रण नियमों में संशोधन किया गया है। इसके अलावा, कोकिंग कोयले को एमएमडीआर अधिनियम, 1957 के तहत एक महत्वपूर्ण और

कार्यनीतिक खनिज के रूप में अधिसूचित किया गया है, जिससे कोकिंग कोयला परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति और वन स्वीकृति प्रक्रिया में तेजी आई है।

iv. **खान डेवलपर और ऑपरेटर (एमडीओ) मोडः** सरकार ने कोयला खनन के लिए खान डेवलपर और ऑपरेटर मोड की शुरुआत की है और संसाधन निष्कर्षण को अधिकतम करने के लिए राजस्व-शेयरिंग मॉडल के तहत बंद/परित्यक्त खानों की भी पेशकश की है।

v. कोयला ब्लॉक विकास और उत्पादन करारों में निष्पादन प्रतिभूति प्रस्तुत करने के लिए बीमा ज़मानत बांड को एक स्वीकार्य साधन के रूप में शामिल किया गया है। इससे बैंक गारंटी पर निर्भरता कम होगी, अवरुद्ध कार्यशील पूंजी मुक्त होगी और भागीदारी बढ़ेगी।

(ख) : सरकार ने प्रौद्योगिकी को अपनाने और स्वच्छ कोयला पहलों के माध्यम से कोयला पारिस्थितिकी तंत्र के आधुनिकीकरण के लिए कई पहलें की हैं:

i. **कोयला धुलाईः** 'मिशन कोकिंग कोल' के तहत, सरकार का लक्ष्य वित्त वर्ष 2030 तक देश की कोयला वॉशरी क्षमता को 58 मि.ट. तक बढ़ाना है।

ii. **डिजिटल खान निगरानीः** कोयला मंत्रालय ने कोयला उत्पादन, प्रेषण, भंडार और परिवहन की वास्तविक समय निगरानी के लिए कोयला शक्ति डैशबोर्ड लॉन्च किया है। इसके अतिरिक्त, अनधिकृत खनन कार्यकलापों की नागरिक-आधारित रिपोर्टिंग के लिए खनन प्रहरी मोबाइल ऐप और सीएमएसएमएस वेब ऐप को राष्ट्रीय स्तर पर संस्थापित किया गया है। सीआईएल ने वैज्ञानिक खान योजना के लिए एआई-आधारित वीडियो एनालिटिक्स, आरएफआईडी-सक्षम वेब्रिज, जीपीएस-आधारित वाहन ट्रैकिंग और ड्रोन/उपग्रह-आधारित मानचित्रण के साथ एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र (आईसीसीसी) भी संस्थापित किए हैं।

iii. **कोयला गैसीकरण और यूसीजीः** सतही कोयला/लिग्नाइट गैसीकरण को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने वर्ष 2030 तक 100 मि.ट. गैसीकरण क्षमता के लक्ष्य को पूरा करने के लिए 8,500 करोड़ रुपये (जिसके तहत 8 परियोजनाएं पहले ही अनुमोदित हैं) और 37,500 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ दो प्रमुख स्कीमों को अनुमोदित किया है।

iv. **नवीकरणीय ऊर्जा और कार्बन कैप्चरः** सीआईएल ने वित्त वर्ष 2027-28 तक 3 गीगावॉट और वित्त वर्ष 2029-30 तक 9.5 गीगावॉट निवल-शून्य नवीकरणीय क्षमता के लक्ष्य के

साथ एक चरणबद्ध नवीकरणीय ऊर्जा रोडमैप अपनाया है, जिसमें यूटिलिटी और कैप्टिव परियोजनाओं में 558 मेगावाट पहले से ही संस्थापित है।

(ग) : देश की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने और औद्योगिक विकास को सहायता प्रदान करने में कोयला लगातार महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

इसके अलावा, सरकार वृक्षारोपण/जैव-सुधार, इको-पार्कों के विकास और खान जल उपयोग जैसी पहलों के माध्यम से कोयला खनन में पर्यावरणीय संधारणीयता को बढ़ावा देती है। पारंपरिक ड्रिलिंग को प्रतिस्थापित करने के लिए विस्फोट मुक्त खनन प्रौद्योगिकियों (जैसे सर्फेस माइनर्स) को आक्रामक रूप से अपनाया जा रहा है।

(घ) : भारत का घरेलू कोयला उत्पादन वर्ष 2019-20 में लगभग 731 मिलियन टन से बढ़कर लगातार दो वर्षों तक 1 बिलियन टन को पार कर गया है, जो वित्त वर्ष 2024-25 में 1047.52 मि.ट. और वित्त वर्ष 2025-26 में 1039 मि.ट. तक पहुंच गया है।

सरकार ने रेल, सड़क, तटीय शिपिंग और अंतर्देशीय जलमार्गों के माध्यम से एक प्रौद्योगिकी-सक्षम, लागत प्रभावी मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम विकसित करने के उद्देश्य से एक एकीकृत कोयला लॉजिस्टिक्स योजना शुरू की है। लगभग 1,319 मिलियन टन की कुल क्षमता वाली कुल 139 फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी (एफएमसी) परियोजनाएं शुरू की गई हैं, जिनमें से लगभग 589 मिलियन टन की क्षमता वाली 72 परियोजनाएं पहले ही शुरू की जा चुकी हैं।

इस क्षेत्र को और अधिक सुव्यवस्थित करने के लिए, सरकार ने कोयले और इसके प्रसंस्कृत रूपों के व्यापार के लिए एक विनियमित ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्थापित करने हेतु कोयला विनिमय नियम, 2026 को अधिसूचित किया है। कोल एक्सचेंज कैप्टिव/वाणिज्यिक खनिकों और उपभोक्ताओं को डिलीवरी-आधारित अनुबंध करने में सक्षम बनाएगा।
